न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0– 29 /2018–19

कृष्णा कुमार,
पिता– बहादुर राम
साकिन– तिलैया बस्ती

02.07.2018 श्री कृष्णा कुमार, पिता– श्री बहादुर राम, साकिन– तिलैया बस्ती, वार्ड नं0– 02 के द्वारा आवदेन दिया गया है कि उनकी खतियानी भूमि; मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के खाता सं0– 822, प्लॉट नं0– 699, 700 वगैरह अन्तर्गत कुल रकबा– 82 डी0 जमीन उनके दादा बैजनाथ राम वो किस्टो राम, पिता– बुधन राम वगैरह के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन के साथ खतियान एवं सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति को संलग्न करते हुए जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में जांच–प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 08/07/2018 को उपस्थापित करें।

02/07/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

08.07.2018 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है।

राजस्व कर्मचारी के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के चालू पंजी II के पृष्ट सं0– 153 वॉल्यूम IV पर खाता सं0– 822, रकबा– 0.82 ए0 भूमि, लगान– 0.25 रू0 बैजनाथ राम वगैरह के नाम से जमाबंदी दर्ज था। उक्त पंजी का पृष्ट सं0– 153 वॉल्यूम 4 क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण जमाबंदी स्पष्ट नहीं होता है। अमीन द्वारा मापी के पश्चात जमाबंदी कायम करने की कार्रवाई की जा सकती है। उक्त भूमि रैयती खाते की है।''

अंचल अमीन के द्वारा मापी के उपरांत प्रतिवेदित किया गया है, ''आवेदक कृष्णा कुमार, पिता– श्री बहादुर राम द्वारा शपथपत्र सं0– 2524 दिनांक 15.06.2018 के द्वारा उपरोक्त खाता से संबंधित प्लॉटों का जांच ऑनलाइन हेतु आवेदन आवेदित किये हैं। नक्शा, खतियान एवं स्थल जांच के पश्चात निम्न तथ्य पाया :–

खतियानी रैयतः– बैजनाथ राम वो किस्टो राम, पिता– बुधन राम 4 अंश समान वो शामलाल राम, पिता– मेघन राम 4 अंश वो लालदेव राम उर्फ बालदेव, पिता– रामेश्वर राम 2 अंश वो महावीर राम, पिता– सुकर राम 2 अंश वो झरी राम, पिता– भीखन राम 4 अंश जाति– कहार, निवासी– निज ग्राम। जांचोपरांत स्थल की स्थिति :–

क्रमांक	खाता सं0	प्लॉट नं0	सर्वे–रकबा (एकड़ में)	बिक्री रकबा (एकड़ में)	शेष रकबा	वर्तमान में दखल	अभियुक्ति
01.	822	699	0.09	.	0.09	चमारीराम, नारायण राम, सरयु राम, पिता शामलाल	
02.		700	0.04	.	0.04	गोविंद वो राजेन्द्र वो महेन्द्र वो बहादुर राम, पिता– बैजनाथ राम	
03.		701	0.06	0.06	.	.	

क्रमांक	खाता सं0	प्लॉट नं0	सर्वे–रकबा (एकड़ में)	बिक्री रकबा (एकड़ में)	शेष रकबा (एकड़ में)	वर्तमान में दखल	अभियुक्ति
04.	822	702	0.08	.	0.08	शंकर राम पिता– झरी राम वो प्रदीप राम राजेन्द्र राम, प्रकाश राम, पिता– लालदेव राम	
05.		721	0.06	0.06	.	.	
06.		722	0.04	0.02	0.02	शंकर राम पिता– झरी राम	
07.		723	0.01	0.01	.	.	
08.		724	0.04	0.04	.	.	
09.		725	0.07	.	0.07	चमारीराम, नारायण राम, सरयु राम, पिता शामलाल	
10.		726	0.06	.	0.06	राजेन्द्र वो महेन्द्र बहादुर राम पिता– किस्टो राम	
11.		727	0.14	.	0.14	गोविंद राम पिता– बैजनाथ राम	
12.		728	0.13	0.09	0.04	गोविंद राम पिता– बैजनाथ राम	
कुल :–			0.82	0.28	0.54		

अंचल अमीन के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

अंचल नाजीर के द्वारा आवेदक के आवेदन में संलग्न सरकारी लगान रसीद का नजारत में उपलब्ध रसीद भंडार पंजी से मिलान कर प्रतिवेदित किया गया है, "लगान रसीद का पुराना भंडार पंजी उपलब्ध नहीं है। लगान रसीद काफी पुराना है, जिस कारण भंडार पंजी से मिलान संभव नहीं है।"

अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "हल्का कर्मचारी तथा अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन तथा निर्गत लगान रसीद के आधार पर पंजी II में जमाबंदी कायम किया जा सकता है।"

आवेदक को नोटिस निर्गत कर मूल राजस्व कागजातों की मांग करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ....18..../....07..../..2018.... को उपस्थापित।

18/07/2018

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

18.07.2018 अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दावा/आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

अभियुक्ति

आवेदक स्वयं उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान की छायाप्रति एवं वर्ष 1975–76 दिनांक 30.03.1976 को निर्गत सरकारी लगान रसीद सं0– 2451 तथा वर्ष 1977–78 दिनांक 21.01.1978 को निर्गत सरकारी लगान रसीद सं0– 295042 प्रस्तुत किया गया। दावेदार के द्वारा शपथ पत्र सं0– 25243 दिनांक 15.06.2018 दाखिल किया गया।

आवेदक से हाल में निर्गत सरकारी लगान रसीद की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ..24../..08../2018 को उपस्थापित करें।

18/07/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

..8.2018 अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक ..06../..09../2018 को उपस्थापित करें।

24/08/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

..09.2018 अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक उपस्थित। आवेदक के द्वारा वर्ष 1998–99 में निर्गत सरकारी लगान रसीद संख्या 324985 प्रस्तुत किया गया।

अंचल नाजीर के द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत उक्त सरकारी लगान रसीद को अंचल नजारत में उपलब्ध रसीद भंडार पंजी से मिलान कर प्रतिवेदित किया गया है, "रसीद सं0 324985 लगान भंडार पंजी में दर्ज पाया।"

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच के उपरांत विहित प्रपत्र में समर्पित जांच–प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी II के पृष्ठ सं0– 153/IV पर मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के खाता नं0– 822, प्लॉट नं0– 699, 700 वगैरह अन्तर्गत कुल रकबा– 0.54 ए0 भूमि की जमाबंदी बैजनाथ राम वगैरह के नाम से चल रही थी।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों एवं शपथ–पत्र तथा राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऑनलाइन पंजी II में मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के खाता नं0– 822, प्लॉट नं0– 699, 700 वगैरह अन्तर्गत कुल रकबा– 0.54 ए0, माल– 0.20 रू0 अलावे सेस भूमि की जमाबंदी बैजनाथ राम वो किस्टो राम पिता– बुधन राम वगैरह के नाम से साकिन– तिलैया बस्ती के नाम से जमाबंदी कायम करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

अभिलेख में कार्रवाई ..बं.द.. की जाती है।

06/09/2018
लेखापित एवं संशोधित

06/09/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा